न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)

आर.ए.एस

प्रकरण सं.:– 57 / 2015

ती रतनी पत्नि श्री मोगा उम करीबन 75 वर्ष जाति धोबी(मृत्यु)
ाल पुत्र श्री मोगा उम करीबन 50 वर्ष जाति धोबी
लाश पुत्र श्री मोगा उम करीबन 45 वर्ष जाति धोबी
बूलाल पुत्र श्री मोगा उम करीबन 40 वर्ष जाति धोबी सभी निवासीगण ग्राम कुरथल
हसील भिनाय जिला अजमेर

थल

वादीगण

गण

बनाम

महोदव पुत्र श्री रामकुंवार उम करीबन 62 वर्ष जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

सील

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा. भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

गण

उपस्थित :– श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री धर्मवीर बामनिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
पैराकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश:– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 02.11.2022

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बगराई पटवार का बगराई भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता सं. 269 में दर्ज खसरा नं. 2082 रकबा 1.62 है0 भूमि को लेकर वादीयागण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त भूमि वादियागण की पुश्तैनी होने के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता धर्मवीर बामनिया ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादियागण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्णतया फर्जी एवं झूठा है। वादियागण द्वारा वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर छुपाते हुए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अस्वीकार योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने बताया कि वादग्रस्त आराजीयात के वर्किंग जमाबंदी के खाता सं. 293 खसरा नं. 1492 मीन रकबा 10 बीघा किस्म बारानी–3 के खातेदार श्री गंगाराम पुत्र श्री रामकरण जाति बागरिया निवासी चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर द्वारा दिनांक 11.01.1995 को अप्रार्थी सं. 1 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बेचान की जा चुकी है। जिसका नामान्तकरण सं. 104 दिनांक 19.01.1996 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जा चुका है। तत्समय से अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार होकर अनवरत फराल काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित आराजीयात है जिसे अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पर खरीद की है एवं खरीद दिवस से ही अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति को कोई भी सरोकार नहीं है। प्रार्थीयागण द्वारा उक्त वाद पत्र जानबूझकर दुर्भावना पूर्वक मिथ्या कथन कर पुराने जमाबंदी ढवं खसरा गिरदावरी प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। प्रार्थीयागण द्वारा प्रश्नगत आराजीयात को नाजायज तरीके से हडपने की नियत से गलत तथ्य प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

नियोजित तरीके से षडयन्त्रपूर्वक वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। उन्होने बताया कि अप्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार है इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा बिना रजिस्टर्ड दस्तावेजात निरस्त किये माननीय न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाकर वाद पत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

वादीयागण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। आराजी खसरा नं. 1492 रकबा 10 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नं. 2082 रकबा 1.62 है0 वादीगण 2 लगायत 4 के पिता श्री गोगा को आवटित हुई थी एवं आवंटन पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा श्री गोगा को मौके पर जाकर आराजी का कब्जा दिलाया था। उसी समय से श्री गोगा का कब्जा चला आ रहा था एवं श्री गोगा के स्वर्गवास पश्चात् वादियागण का उक्त आराजीयात पर हक एवं कब्जा चला आ रहा है। उक्त प्रश्नगत आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में बिना विधिक आधार के व बिना कब्जे के राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत दर्ज किया गया है जो दुरूस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वर्णित तथ्य साक्ष्य का विषय है जो साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही तय किया जाना विधिसम्मत है। वादियागणों द्वारा सत्य कथनों पर आधारित वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे गलत अंकन होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रहा है। वादियागण द्वारा विधि अनुसार वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जानबूझकर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाकर केवल मात्र विलम्ब करने के आशय से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण गुणवगुण पर निर्णित किए जाने योग्य होने से अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। वादियागण अधिवक्ता ने जवाब में बताया कि वादियागण के पक्ष में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा वाद सं. 183/1991 उनवानी गोगा बनाम जेठू वगैरह दिनांक 07.12.1994 को निर्णित किया गया जिसकी आदिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त वाद वर्णित आराजी को बिना किसी आधार के अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कर दी गई जो कतई गलत होने से दुरूस्त होने काबिल है जिसका निस्तारण वाद बिन्दु बनाकर किया जाना आवश्यक बताते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में बहस उभयपक्षान नियत की गई। अप्रार्थी सं.1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने समर्थन में प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणों को दोहराकर रजिस्टर्ड दस्तावेज को प्रभाव शून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किए जाने का पुरजोर निवेदन किया।

वादियागण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दौराने बहस कथन किए कि वादीयागण द्वारा वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित भूमि के बाबत घोषणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात में अप्रार्थी सं. 1 का नाम विलोपित कर वादीगण को प्रश्नगत आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने बाबत आनुतोष चाहा है। उन्होनें बताया कि प्रश्नगत आराजीया वादीगण के पिता की आवंटन शुदा आरजीयात है, जो उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीयागण के संयुक्त कब्जे,काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी सं. 1 ने वाद वर्णित आराजीयात को मिलीभगत कर वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज करवा लिया है। जो गलत है। जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय कों प्राप्त है। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र के निरस्तीकरण से संबंधित नहीं है, ना ही विक्रय पत्रों को किसी भी प्रकार से वाद में वर्णित कर संदर्भित किया गया है। प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा केवल मात्र घोषणा का आनुतोष प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त अनुतोष प्रदान किये जाने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है। वादीगण द्वारा कहीं भी उक्त विक्रय पत्र का ना तो हवाला दिया है और ना ही अभिवचनित किया है। वादी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 ने

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज.

Scanned with CamScanner

लीभगत कर वादीगण की खातेदारी की आराजी का नामान्तकरण गलत एवं अवैध रूप से अपने पक्ष में दर्ज करवाया है। वादीगण ने उक्त अभिवचन करते हुए अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित करते हुए आराजीयात वापस वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। उन्होनें बताया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों की श्रेणी में नहीं आता है, ना ही अप्रार्थी सं.1 ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई प्रावधान अथवा विधि का उल्लेख किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को इस प्रकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण को विलम्ब करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जो काननून चलने योग्य ना होकर खारिज होने योग्य है। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का अनुरोध किया।

पक्षकारान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण पर उपलब्ध तथ्य रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि अधिवक्ता वादियागण द्वारा उल्लेखित प्रकरण 183/1991 में दर्ज वादग्रस्त खसरा नं. भूमि का वर्तमान प्रश्नगत खसरा नं. से कोई सरोकार है, इस बाबत वादीगण द्वारा कोई आवश्यक राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जिससे सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वाद पत्र में वर्णित आराजीयात अप्रार्थी सं. 1 के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियां विलोपित किया जाना बिना पंजिबद्ध दस्तावेज अर्थात विक्रय पत्र को अवैध अथवा शून्य घोषित कराए संभव नहीं है, जिस हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही की जाकर वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं, राजस्व न्यायालय को सिविल प्रकृति के प्रकरण निरतारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

—:आदेश:—

उपरोक्त स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 वास्ते वाद खारिज करने एवं वास्ते राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभाव शून्य घोषित नहीं कराने का अधिकार हेतु स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं तथा मौजा बगराई पटवार हल्का बगराई भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता सं. 269 में दर्ज खसरा नं. 2082 रकबा 1.62 है0 भूमि बाबत प्रस्तुत वाद पत्र सिविल प्रकृति का होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार दर्ज होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner